(घ) इन योजनाओं को स्वीकृति देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:-

क्रमांक	योजनाओं के नाम	अनुमोदित राशि/ अनुमानित लागत जिसके खर्च किए जाने की संभावना है (लाख रू॰ में)
1.	बिलासपुर जिले में नैगा अनुसूचित जनजाति के 17 गांवों के लिए पेयजल	57.90
2.	सरगुजा जिले में पाण्डो जनजाति गांवों के लिए जल सप्लाई	122.70
3.	बस्तर जिले के लिए पेयजल सप्लाई हेतु समेकित परियोजना	1244.93
4.	उज्जैन जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए घातिया परियोजना	341.50
5.	छिन्दवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए तामियां / संसर परियोजना	439.11
6.	20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे नगरों में पेयजल सप्लाई हेतु 9 योजनाएं	800.60
7.	रायपुर नगर में पेयजल सप्लाई में वृद्धि	3254.00

(घ) क्रमांक 1 पर दी गई परियोजना जून, 1993 में अनुमोदित की गई थी। क्रमांक 2 पर दी गई परियोजना 27 दिसम्बर, 1993 को अनुमोदित की गई थी। क्रमांक 3 पर दी गई परियोजना 18 फरवरी, 1994 को अनुमोदित की गई है। जहां तक क्रमांक 4 और 5 पर दी गई परियोजनाओं का संबंध है, राज्य सरकार को 27 जनवरी, 1994 को सूचित किया गया था कि वे इन परियोजनाओं को उन्हें सौंपी गई शक्तियों के अंतर्गत स्वीकृति दें। जहां तक त्वरित शहरी जल सप्लाई योजना के अंतर्गत छोटे नगरों को पीने का पानी सप्लाई करने की योजनाओं का संबंध है, योजना को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है और निधियां त्वरित शहरी जल सप्लाई कार्यक्रम के अनुमोदन के बाद ही रिलीज की जा सकती हैं। क्रमांक 7 पर दी गई परियोजना 7.9.1993 को अनुमोदित की गई थी।

Fertilizer subsidy

*47. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the total amount of subsidy on fertilizers during 1993-94;

(b) whether it differs from one unit to the other; and

(c) what is the actual amount spent by Government towards subsidising fertilizers of different categories manufactured by various product on units item-wise, per metric tonne, manufactured by each unit?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) A provision of Rs. 4000/- crores (including a supplementary grant of Rs. 500/- crores obtained in December, 1993) has been made for 1993-94 for payment of subsidy on fertilizers.

(b) and (c) The difference between the cost of production of a particular manufacturing unit as assessed by the Government under the Retention-Price- cum-Subsidy Scheme and the realisation through sales at statutorily fixed consumer price, is paid as subsidy on a per tonne basis. The cost of production, including return on networth, so fixed differs from unit to unit depending upon the vintage of the plant, norms fixed for capacity utilisation and energy consumption, cost of inputs etc. Accordingly, subsidy paid to various units ranges from Rs. 575 to Rs 5585 per tonne of urea, from Rs. 1079 to Rs. 3220 per tonne of ammonium chloride, from Rs. 115 to Rs. 1022 per tonne of ammonium sulphate and from Rs. 317 to Rs. 1478 per tonne of calcium ammonium nitrate.

At present, only straight nitrogenous fertilizers mentioned above are covered under price control and subsidy scheme.

देश में औद्योगिक उत्पादन

*48. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचकांक वर्ष 1993-94 के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन वर्ष 1992-93 की तुलना में कितना है;